म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

कं./बी–6/नियमन/भुगतान/369/1639 भोपाल, दिनांक 03/04/2019

प्रति,

संयुक्त/उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा।

2 भारसाधक अधिकारी /सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति.....(समस्त)
जिला.....

विषयः–किसानों को कृषि उपज के पूर्ण व त्वरित भुगतान के संबधं मे।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र कमांक/बी–6/नियमन/भुगतान/369/1414 दिनांक 23.9.17, कमांक 1479 दिनांक 11.10.17, कमांक 1620 दिनांक 20.11.17, कमांक/1830 दिनांक 09.04.18

सन्दर्भित पत्रो से किसानो को उनकी कृषि उपज के भुगतान के संबंध मे आवश्यक निर्देश दिये गये है तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति मे किसानो को चेक द्वारा भुगतान नही किया जाएगा।

अभी कुछ दिन पूर्व कृषि उपज मण्डी समिति भोपाल एवं रायसेन मे किसानो को चेक भुगतान की घटना प्रकाश मे आयी है कि व्यापारियों द्वारा किसानो को उनकी कृषि उपज का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया है, जोकि संबंधित बैंक मे चेक बांउस हो गये हैं। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओ की पुनरावृत्ति न हो इसलिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं तत्काल लागू की जाती है :–

1/ प्रतिदिवस घोष विक्रय से पहले लाउडस्पीकर पर उद्घोषणा करायी जाये कि "केवल नगद या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान कराया जाएगा, चेक से भी भुगतान प्रतिबंधित है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे चेक से भुगतान प्राप्त न करे तथा यदि किसी व्यापारी के द्वारा चेक सें भुगतान करने का दबाव बनाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट मण्डी समिति कार्यालय में करें"।

2/ इसके साथ–साथ यह भी उद्घोषणा लगातार करायी जाये कि "यदि कोई किसान चेक से भुगतान प्राप्त कर रहा है तो मण्डी समिति की किसी प्रकार की कोई जवाबदारी नही रहेगी"। यदि मण्डी में लाउडस्पीकर की व्यवस्था नही है तो हैंडमाइक से इसकी उद्घोषणा करायी जाये ।

3/ चूंकि भुगतान पत्रक केता व्यापारी के द्वारा किये जाते है जिसकी मण्डी समिति वाली प्रति भी प्रायः उसी कार्य दिवस मे प्राप्त नही होकर अगले कार्य दिवस मे प्राप्त

होती है एवं जिसपर भुगतान स्वरूप केवल किसान के हस्ताक्षर ही होते है जिसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित नही होने से किसान को पूर्ण भुगतान की पुष्टि नही हो पाती है। इसलिये **भुगतान पत्रक की किसान वाली प्रति** के आधार पर निकासी गेट पर **संलग्न प्रारूप** अनुसार एन्ट्री की जाकर पंजी संधारित किये जाने की व्यवस्था के निर्देश जारी किये जा रहे है।

4/ किसानो की सूचना हेतु निकासी गेट पर बोर्ड लगवाया जाये कि **"किसान निकासी गेट पर संधारित पंजी मे अपने भुगतान पत्रक की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करवाये"**। इस बोर्ड पर मण्डी सचिव और आंचलिक संयुक्त/उप संचालक के नाम एवं दूरभाष नम्बर भी अंकित कराया जाये।

5/ उक्तानुसार उद्घोषणा के निर्देशो/किसानो हेतु सूचना (**बिन्दू कमांक 1, 2 व 4 अनुसार**) को भुगतान पत्रक के पृष्ठ भाग पर भी छपवाया जाये ।

6/ किसानो को कृषि उपज के भुगतान के संबधं मे **संलग्न प्रारूप** अनुसार व्यापारीवार खाता संधारित कर **पंजी** का संधारण किया जाये । प्रारूप मे निकासी गेट पर जानकारी संधारण हेतु किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाये। संबंधित व्यापारी से किसान को नगद एवं आरटीजीएस/एनईएफटी से बैंक खाते में भुगतान का प्रमाणीकरण प्राप्त कर भुगतान की दिनांक सहित एन्ट्री भी उक्त पंजी मे की जाये, ताकि ज्ञात हो सके कि किसान को विक्रय उपरांत वास्तविक तौर पर किस दिनांक को भुगतान प्राप्त हुआ है। यदि नीलामी दिनांक को पूर्ण भुगतान प्राप्त नही हुआ है तो जिस दिनांक को भुगतान प्राप्त हुआ है, उसकी जानकारी पंजी मे दर्ज की जाये। प्रारूप मे एन्ट्री के संबधं मे संलग्न अनुसार निर्देशो का पालन किया जाये ।

7/ जानकारी प्रविष्ट करने वाले कर्मचारी एवं मण्डी सचिव के द्वारा समय–समय पर भुगतान के संबंध मे रेंडम आधार पर किसान से चर्चा कर जांच करी जावें कि उनको भुगतान प्राप्त हुआ है अथवा नही ?

8/ व्यापारी की **अनुज्ञा** तभी बनाई जाये जब संबंधित किसान को उसके द्वारा विक्रय उपज का पूर्ण भुगतान प्राप्त हो चुका है। इसका प्रमाणीकरण व्यापारियों से प्राप्त करे जिसमें यूटीआर नंबर या ट्रान्जेक्शन आईडी या अन्य कोई रेफरेंस नम्बर होना चाहिए साथ ही भुगतान पत्रक में भी किसान का बैंक खाता कमांक व मोबाइल नंबर स्पष्ट दर्ज होना चाहिए।

9/ पुनः सभी सचिवो को सचेत किया जाता है कि किसी भी मंडी मे यदि चेक से भुगतान पाया गया तो सचिव के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही करी जाएगी।

10/ यदि कोई व्यापारी चेक से भुगतान करता पाया जाता है तो उसके लाइसेंस निलम्बन/क्रय विक्रय को रोकने की कार्यवाही और निकासी/अनुज्ञा पर तत्काल प्रतिबंध की कार्यवाही की जाये।

11/ व्यापारियो के द्वारा किसानो के भुगतान मे व्यतिक्रम किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे आने पर संबंधित मण्डी सचिव के साथ ही प्रांगण प्रभारी, मण्डी शुल्क शाखा प्रभारी, अनुज्ञा जारी कर्ता कर्मचारी एवं अनुज्ञा शाखा प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

12/ उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। सभी मण्डियों में दिनांक 08.04.2019 को निकासी गेट पर उक्त पंजी का संधारण सुनिश्चित किया जाकर [redacted] पालन प्रतिवेदन से अवगत करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कं./बी–6/नियमन/भुगतान/369/1640 भोपाल, दिनांक 03/04/2019

प्रतिलिपि :–

(1) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।

(2) अपर संचालक/संयुक्त संचालक /उप संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। मंडी समितियो के निरीक्षण के दौरान किसानो को भुगतान के संबंध मे पंजी का अवलोकन कर किसानो से रेंडम आधार पर चर्चा कर पंजी मे एन्ट्री का सत्यापन भी किया जाये ।

(3) गार्ड फाईल/एमआईएस शाखा /लेखा शाखा/निरीक्षण शाखा।

3/4/19
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रारूप

व्यापारीवार खाता संधारण

क	दिनांक	किसान का नाम	मोबाइल नम्बर	अनुबंध पत्रक कमांक	भुगतान पत्रक कमांक	बेची गई कृषि उपज का विकय मूल्य	नकद भुगतान की गई राशि	शेष राशि (5–6)	किसान का बैंक खाता कमांक	बैंक शाखा का IFSC कोड	शेष राशि का भुगतान किस माध्यम से किया गया/ किया जायेगा	कॉलम (12) अनुसार आरटीजीएस/ एनईएफटी का UTR नम्बर	पूर्ण भुगतान दिनांक	किसान के हस्ताक्षर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

नोट–

1/ उक्त प्रारूप मे निकासी गेट पर जानकारी संधारण हेतु किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाये। जिसे समय–समय पर चकपद्धति से बदला भी जाये।

2/ उक्त प्रारूप पर व्यापारी वार खाता संधारण किया जाये। संभव हो तो इसकी एन्ट्री एम.एस. एक्सल मे की जाये और दैनिक प्रिन्ट आउट लेकर पंजी संधारित की जाये।

3/ प्रारूप मे **कॉलम (1)** से **कॉलम (11)** तक की एन्ट्री उसी दिन की जाकर किसान की सहमति, कि उसे नकद भुगतान प्राप्त हो गया है और शेष भुगतान की स्थिति मे आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर लिया जावेगा, के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर **कॉलम (15)** मे प्राप्त किये जाये।

4/ प्रारूप मे **कॉलम (12)** मे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये कि भुगतान हेतु आरटीजीएस/एनईएफटी उसी दिन किया गया है अथवा आगामी दिवस मे किया जायेगा।

5/ प्रारूप मे **कॉलम (13)** से **कॉलम (14)** तक एन्ट्री, व्यापारी द्वारा किसान का पूर्ण भुगतान कर दिये जाने के उपरांत, किसान का कोई शेष नही रहना प्रमाणित किया जाकर, की जावेगी। इस संबंध मे संबंधित व्यापारियो से सतत् सम्पर्क कर एन्ट्री पूर्ण कराई जाये।

6/ प्रारूप मे **कॉलम (13)** से **कॉलम (14)** तक मे एन्ट्री किस दिनांक को हो रही है इसकी निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी व मण्डी सचिव को होगी। विकय दिनांक और पूर्ण भुगतान दिनांक मे असाधारण अंतर होने पर मण्डी अधिनियम, उपविधि के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावे।

7/ संबंधित कर्मचारी व मण्डी सचिव के द्वारा रेंडम आधार पर किसान से चर्चा कर उक्त पंजी मे एन्ट्री का सत्यापन भी किया जाये ।

8/ मंडी मे निरीक्षण करने वाले वरिष्ठ अधिकारी भी इस पंजी का अवलोकन कर किसान से रेंडम आधार पर चर्चा कर उक्त पंजी मे एन्ट्री का सत्यापन भी करेगे ।